क्रम संख्या–53

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 22 जून, 2022 ई0

आषाढ़ 01, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 163/XXXVI (3)/2022/32(1)/2022

देहरादून, 22 जून, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2022'** पर दिनांक 22 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 05 वर्ष, 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2022

(अधिनियम संख्या–05, वर्ष 2022)

राज्य की संचित निधि से 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2022 है।

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2022–23 के लिये रु0655714914000 का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बंध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की संचित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी गयी धनराशियों से, जिन सबका कुल योग (उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2022 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–04 वर्ष 2022) की अनुसूची के स्तम्भ 12 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके) रुपये 655714914000 (रुपये पैंसठ हजार पांच सौ ईकहत्तर करोड़ उनचास लाख चौदह हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	822863	25421	848284
		पूँजी	120000	0	120000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	147733	147733
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	487970	0	487970
		पूँजी	502000	0	502000
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	2676383	640301	3316684
		पूँजी	1030950	0	1030950
05–	निर्वाचन	राजस्व	933783	0	933783
		पूँजी	29088	0	29088
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	20809213	26278	20835491
		पूँजी	2589001	0	2589001
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	108743463	62713457	171456920
		पूँजी	15361301	55682403	71043704
08–	आबकारी	राजस्व	384200	0	384200
		पूँजी	20000	0	20000
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	204950	481351	686301
		पूँजी	70000	0	70000
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	23770504	0	23770504
		पूँजी	465000	0	465000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	100149878	0	100149878
		पूँजी	4789321	0	4789321
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	36090896	0	36090896
		पूँजी	3850742	0	3850742
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	8915616	0	8915616
		पूँजी	12192937	0	12192937
14–	सूचना	राजस्व	1270888	0	1270888
		पूँजी	10000	0	10000
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	26693108	0	26693108
		पूँजी	1348868	0	1348868
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	5365477	0	5365477
		पूँजी	687711	0	687711
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	11552987	0	11552987
		पूँजी	509006	0	509006

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान / क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
18–	सहकारिता	राजस्व	1240486	0	1240486
		पूँजी	820000	0	820000
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	11614399	0	11614399
		पूँजी	25376938	0	25376938
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	5663184	30000	5693184
		पूँजी	7598703	0	7598703
21–	ऊर्जा	राजस्व	313034	0	313034
		पूँजी	4514419	0	4514419
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	9930650	107830	10038480
		पूँजी	13458000	0	13458000
23–	उद्योग	राजस्व	3606158	0	3606158
		पूँजी	874602	0	874602
24–	परिवहन	राजस्व	1471918	0	1471918
		पूँजी	1898577	0	1898577
25–	खाद्य	राजस्व	2103253	0	2103253
		पूँजी	3240001	0	3240001
26–	पर्यटन	राजस्व	1338926	0	1338926
		पूँजी	2230003	0	2230003
27–	वन	राजस्व	8527662	0	8527662
		पूँजी	904739	0	904739
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	4864159	0	4864159
		पूँजी	452502	0	452502
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	4993834	19948	5013782
		पूँजी	361001	0	361001
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	17028470	0	17028470
		पूँजी	3198108	0	3198108
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	4372444	0	4372444
		पूँजी	1395918	0	1395918
	योग–	राजस्व	425940756	64192319	490133075
		पूँजी	109899436	55682403	165581839
	महायोग		535840192	119874722	655714914

आज्ञा से,
महेश चन्द्र कौशिवा,
अपर सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय। राज्य द्वारा विविध व्यय चुकाने के निमित्त राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, अतः–

इस विधेयक में उत्तराखण्ड की संचित निधि में से 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम–2022 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 04 वर्ष 2022) द्वारा किये गये विनियोग की धनराशियॉ सम्मिलित है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
वित्त मंत्री।